फार्म–ए

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा,

जिला–समस्तीपुर

उपस्थित–उमेश कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसडा

{ निर्णय की तिथि–13.03.2026 }

सत्रवाद संख्या–200 / 1997

सी0आई0एस0 नं0–648 / 2014

(प्राथमिकी / अपराध एवं थाना का विवरण)

प्राथमिकी का विवरण–रोसडा थाना काण्ड संख्या–193 / 1995

प्राथमिकी अन्तर्गत धारा– 147 / 148 / 149 / 448 / 324 / 307 / 379 / 504 / 34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम

परिवादी	राज्य (द्वारा–दिनेश यादव..... सूचक)
द्वारा–प्रस्तुत	श्री शिव शंकर यादव, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. बालेश्वर यादव, उम्र लगभग 80 वर्ष, पिता–स्व0 राम स्वरूप यादव, 2. राम किशोर यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता–बालेश्वर यादव, 3. राम नरेश यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता–बालेश्वर यादव, 4. लालन प्रसाद यादव, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता–बालेश्वर यादव, 5. राम लगन यादव, उम्र लगभग 64 वर्ष, पिता–स्व0 धनिक लाल यादव, 6. रणवीर यादव, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता–राम स्वार्थ यादव, 7. शर्मा प्रसाद यादव, उम्र लगभग 59 वर्ष, पिता–राम स्वार्थ यादव, 8. रामजी पासवान, उम्र लगभग 77 वर्ष, पिता–स्व0 झिंगुर पासवान, 9. लालटून पासवान, उम्र लगभग 68 वर्ष, पिता–स्व0 सरयुग पासवान, 10.फुलेश्वर पासवान, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता–रामजी पासवान, 11.जगदीश पासवान, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता–स्व0 सरयुग पासवान, 12.नरेश पासवान, उर्फ राम नरेश पासवान, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता–लालटून पासवान, सभी निवासी ग्राम–भोरहा, थाना–रोसड़ा,जिला–समस्तीपुर।
द्वारा–प्रस्तुत	श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता

फार्म–बी

घटना की तिथि	17.12.1995
प्राथमिकी की तिथि	18.12.1995
आरोप–पत्र की तिथि	30.11.1996
आरोप गठन की तिथि	02.12.1999
साक्ष्य प्रारंभण की तिथि	21.12.1999
वह तारीख जिसपर निर्णय सुरक्षित रखा गया है	10.03.2026
निर्णय की तिथि	13.03.2026
सजा के बिन्दु पर आदेश की तिथि, यदि हो	–

सत्रवाद संख्या–200 / 1997
सी0आई0एस0 नं0–648 / 2014

अभियुक्त का विवरण :

क्रमांकअभियुक्त का	अभियुक्त का नाम	आत्म समर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	धारा आरोप गठन के अनुसार	दोषमुक्त या दोषी	सुनायी गयी सजा	विचारण के दौरान द0प्र0सं0 की धारा–428 के तहत् कारा में बिताई गयी अवधि
1.	बालेश्वर यादव	27.09.1996	14.10.1996	307 / 149, 448, 379, 148, 379, 448, 307 भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम	दोषमुक्त	–	–
2.	राम किशोर यादव	12.02.1996	12.02.1996	–वही–	–वही–	–	–
3	राम नरेश यादव	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–
4	लालन प्रसाद यादव	27.02.1996	27.02.1996	–वही–	–वही–	–	–
5	राम लगन यादव	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–
6	रणवीर यादव	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–
7	शर्मा प्रसाद यादव	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–
8	रामजी पासवान	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–
9	लालटून पासवान	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–
10	फुलेश्वर पासवान	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–
11	जगदीश पासवान	12.02.1996	12.02.1996	–वही–	–वही–	–	–
12	नरेश पासवान	23.12.1995	23.12.1995	–वही–	–वही–	–	–

फार्म–सी

अभियोजन / बचाव / न्यायालय साक्षी की सूची :

ए. अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन सा0–1	श्रीकान्त पासवान	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन सा0–2	उदय चन्द्र यादव	अनुश्रुत साक्षी
अभियोजन सा0–3	जयचन्द्र यादव	हितबद्ध साक्षी
अभियोजन सा0–4	बिलखू यादव	हितबद्ध साक्षी
अभियोजन सा0–5	राम बदन यादव	हितबद्ध साक्षी
अभियोजन सा0–6	दिनेश यादव	सूचक
अभियोजन सा0–7	भोला प्रसाद राय	औपचारिक साक्षी
अभियोजन सा0–8	राम जतन यादव	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन सा0–9	गंगा प्रसाद यादव	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन सा0–10	फूलो यादव	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन सा0–11	राम बहादुर यादव	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन सा0–12	राम पुनीत पासवान	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन सा0–13	छट्ठू पासवान	पक्षद्रोही साक्षी

बी. बचाव साक्षी, यदि कोई हो :

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
डी.डब्ल्यू.1	शून्य	

सी. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो :

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
सी.डब्ल्यू.1	शून्य	

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए. अभियोजन पक्ष

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श–1	फर्दबयान पर सूचक का हस्ताक्षर
2.	प्रदर्श–2	औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष के लघु हस्ताक्षर को

बी. बचाव पक्ष :

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–डी–1 / डी.डब्ल्यू.–1 शून्य	

सी. न्यायालय प्रदर्श :

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी–1 / सीडब्ल्यू–1 शून्य	

डी. भौतिक वस्तु

क0सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	वस्तु प्रदर्श–1 शून्य	

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

प्रस्तुत सत्र वाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोसड़ा
के द्वारा दिनांक–12.06.1997 को दौरा सुपुर्दगी के आधार पर संस्थित

राज्य (द्वारा–दिनेश यादव....सूचक)..... अभियोजन

बनाम

1. बालेश्वर यादव, उम्र लगभग 80 वर्ष, पिता–स्व0 राम स्वरूप यादव,
2. राम किशोर यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता–बालेश्वर यादव,
3. राम नरेश यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष, पिता–बालेश्वर यादव,
4. लालन प्रसाद यादव, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता–बालेश्वर यादव,
5. राम लगन यादव, उम्र लगभग 64 वर्ष, पिता–स्व0 धनिक लाल यादव,
6. रणवीर यादव, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता–राम स्वार्थ यादव,
7. शर्मा प्रसाद यादव, उम्र लगभग 59 वर्ष, पिता–राम स्वार्थ यादव,
8. रामजी पासवान, उम्र लगभग 77 वर्ष, पिता–स्व0 झिंगुर पासवान,
9. लालटून पासवान, उम्र लगभग 68 वर्ष, पिता–स्व0 सरयुग पासवान,
10. फुलेश्वर पासवान, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता–रामजी पासवान,
11. जगदीश पासवान, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता–स्व0 सरयुग पासवान,
12. नरेश पासवान, उर्फ राम नरेश पासवान, उम्र लगभग 45 वर्ष,

पिता–लालटून पासवान,
सभी निवासी ग्राम–भोरहा, थाना–रोसड़ा,
जिला–समस्तीपुर.....अभियुक्तगण।

थाना–	रोसड़ा
प्राथमिकी संख्या–	193 / 1995
अन्तर्गत धारा–	147 / 148 / 149 / 448 / 324 / 307 / 379 / 504 / 34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम।
संज्ञान अन्तर्गत धारा–	147, 148, 149, 324, 448, 307, 379, 504 भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम।
विचारण अन्तर्गत धारा–	307 / 149, 448, 379, 148, 379, 448, 307 भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम।
अभियोजन की ओर से :	श्री शिव शंकर यादव, अपर लोक अभियोजक,
बचाव पक्ष की ओर से :	श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, विद्वान अधिवक्ता,
निर्णय की तिथि :	**दिनांक–13वीं मार्च, 2026**
उपस्थित :–	**उमेश कुमार,** **अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा।**

निर्णय

1. अभियुक्तगण जगदीश पासवान व राम किशोर यादव के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के तहत्, अभियुक्तगण बालेश्वर यादव, ललन यादव,

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

जगदीश पासवान, राज किशोर यादव के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–148, 379, 448, 307 के तहत् एवं शेष अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307 / 149, 448, 379 के आरोपों में विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि सूचक दिनेश यादव ने दिनांक–18.12.1995 को समय करीब 11:30 बजे अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा में रोसड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष जख्मी हालत में बयान दिया कि बीते दिन दिनांक–17.12.1995 को करीब 5–5:30 बजे शाम में गंगा प्रसाद यादव के चक्की पर आटा पिसाने गया था तो उसी समय गॉव के बालेश्वर यादव, धनिक यादव, लालन प्रसाद यादव, राम बिलास यादव, जगदीश पासवान, लालटून पासवान, फुलेश्वर पासवान, शर्मा प्रसाद यादव, राम लगन यादव, राम नरेश यादव, राम नरेश पासवान, रामजी पासवान एवं रणवीर यादव नाजायज मजमा बनाकर फलसा, लाठी एवं पिस्तौल से लैस होकर चक्की को घेर लिया, उसे गाली देने लगा, गाली का जब वह विरोध किया तो धनिक यादव ने आदेश दिया कि साले को जान से मार दो, जिसपर बालेश्वर यादव अपने हाथ में लिए फलसा से जान मारने की नियत से उसके सिर पर प्रहार किया, लेकिन उसके पीछे हट जाने से नहीं लगा, तब बालेश्वर यादव ने दुबारा जान मारने की नियत से फलसा का प्रहार किया, जो फलसा उसके सिर पर लगा, सिर कट गया, खून बहने लगा। घायल होकर जमीन पर गिर गया, पुनः लालन यादव उसे फलसा चलाया, लेकिन चक्की के मालिक एवं उनके पुत्र ने बालेश्वर यादव एवं लालन यादव को पकड़ लिया तो अभियुक्तों ने उन्हें भी बुरी तरह मारपीट किया। हल्ला सुनकर उसके पुत्र गौरी शंकर यादव, उसकी मॉ व भगिना को भी बचाव करने के क्रम में मारपीट किया। अभियुक्तगण यह धमकी दिया कि चक्की वाले को भी मजा चखा दो, इसी बीच अभियुक्त जगदीश पासवान एवं राम किशोर यादव ने अपने हाथ में लिये थ्री नट पिस्तौल से फायर किया और चक्की के घर में घुस गया और सामान सभी अभियुक्त मिलकर ले लिया और धमकी दिया कि साले केस करेगा तो एक–एक को जान मार देंगे। हल्ला सुनकर ग्रामीण एवं आटा पिसाने वाले वर्तमान में मौजूद लोग महेन्द्र यादव, फुलो यादव, राम बदन यादव, बिलखू यादव, लूटन पासवान, श्रीकान्त पासवान एवं

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200/1997
सी.आई.एस. नम्बर–648/2014

अन्य लोग घटना को देखे है, जो पूछने पर बतायेंगे। लोगों की मदद से उसे घर पर पहुॅचाया गया। जहां भी उसे उनके पार्टी के लोग नाका बंदी किये हुए रहा, यहां तक उसे ईलाज हेतु भी निकलना अभियुक्त लोग मुश्किल कर दिया। इसी बीच उसके बचाव करने वाले लोग भिरहा जाकर फोनकर थाना पर घटना के सम्बन्ध में किये, तब थाना से जाकर जीप द्वारा उसे ईलाज हेतु रोसड़ा अस्पताल लाये, जहां पर उसका ईलाज चल रहा है। झगड़ा का कारण यह है कि बालेश्वर यादव एवं धनिक यादव से सिलिंग का झगड़ा चल रहा था, 3–4 माह पूर्व उसे सिलिंग में डिग्री हुआ है, इसी के प्रतिशोध में उसके साथ जान बुझकर यह घटना किया है। सूचक के फर्दबयान के आधार पर रोसड़ा थाना काण्ड संख्या–193/1995 दिनांक–18.12.1995 मामला दर्ज हुआ।

3. प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त अनुसंधान प्रारंभ हुआ तथा अनुसंधान के पश्चात् सभी प्राथमिकी अभियुक्तों के विरूद्ध मामला सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रोसड़ा द्वारा दिनांक–04.03.1997 को सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया तथा दिनांक–12.06.1997 को अभिलेख सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को दौरा सुपुर्द किया गया, जहां से सत्रवाद दर्ज होकर अभिलेख विभिन्न न्यायालयों में स्थानान्तरित किया गया तथा अन्ततः अभिलेख दिनांक–17.08.2022 को वर्तमान न्यायालय में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। विचारण के क्रम में अभियुक्त धनिक यादव की मृत्यु हो जाने के कारण आदेश दिनांक–24.05.2018 के आलोक में मृतक अभियुक्त धनिक यादव के विरूद्ध मामले की अग्रिम कार्रवाई समाप्त की गयी तथा शेष 12 अभियुक्तों के विरूद्ध विचारण जारी रहा।

4. आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात् अभियुक्तगण जगदीश पासवान व राम किशोर यादव के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के तहत्, अभियुक्तगण बालेश्वर यादव, ललन यादव, जगदीश पासवान, राज किशोर यादव के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–148, 379, 448, 307 के तहत् एवं शेष अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–307/149, 448, 379 के तहत् आरोपों का गठन कर हिन्दी में सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर अभियुक्तों ने अपने

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा न्यायिक विचारण का दावा किया।

5. अभियुक्तों ने द0प्र0सं0 की धारा–313 के तहत् दिये गये बयान में घटना से इन्कार कर अपनी निर्दोषिता का कथन किया है।

6. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

विनिश्चयन

7. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में आरोप पत्र में अंकित कुल 18 मौखिक साक्षियों में से 13 मौखिक साक्षी क्रमशः (1) श्रीकान्त पासवान, (2) उदय चन्द्र यादव, (3) जयचन्द्र यादव, (4) बिलखू यादव, (5) राम बदन यादव, (6) दिनेश यादव (सूचक), (7) भोला प्रसाद राय, (8) राम जतन यादव, (9) गंगा प्रसाद यादव, (10) फूलो यादव, (11) राम बहादुर यादव, (12) राम पुनीत पासवान व (13) छट्ठू पासवान का परीक्षण कराया गया है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्दबयान पर सूचक को हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 एवं औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष के लघु हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 अंकित कराया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–7 भोला प्रसाद राय औपचारिक साक्षी हैं, जिन्होंने मात्र औपचारिक प्राथमिकी पर तत्कालीन थाना प्रभारी बालमिकी प्रसाद के लघु हस्ताक्षर को प्रदर्श–2 के रूप में पहचान की है तथा अभियोजन साक्षी संख्या–1 श्रीकान्त पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–8 राम जतन यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–9 गंगा प्रसाद यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–10 फूलो यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–11 राम बहादुर यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–12 राम पुनीत पासवान व अभियोजन साक्षी संख्या–13 छट्ठू पासवान को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, जिन्होंने घटना का किसी भी भॉति समर्थन नहीं किया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

9. अभियोजन साक्षी संख्या–2 उदय चन्द्र यादव ने दिनांक–26.05.2001 को अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से साढे पांच वर्ष पूर्व की घटना थी, 17.12.1995, रविवार, समय–5:30 बजे शाम का था। वह उस समय अपने आटा चक्की पर था। उस समय बालेश्वर यादव, धनिक यादव, लालन यादव, राम किशोर यादव, राम लगन यादव, राम नरेश यादव, शर्मा यादव, रणवीर यादव, रामजी यादव, फूलो पासवान, लालटून पासवान, राम नरेश पासवान, जगदीश पासवान आये और आटा चक्की पर दिनेश यादव गेहूँ पिसाने आये थे, उक्त सभी मिलकर दिनेश यादव को गाली देने लगे जो विरोध किया। इसपर धनिक कहा कि देखते क्या हो जान से मार दो, बालेश्वर यादव फरसा दिनेश पर चलाया जो पीछे हटा था, फिर दोबारा फरसा चलाया तो सर में दिनेश को लगा सर कट गया, वह बेहोश हो गया, गिरने पर लालन यादव भी फरसा चलाया तो वह तथा उसके पिताजी उसे पकड़ लिये तो दिनेश पर ही फरसा चलाया, जगदीश पासवान व श्रीराम किशोर यादव दोनों गोली चलाते बोलने लगे कि कहा कि चक्की वाला को भी मजा चखा दो, तब उसे तथा पिताजी को वे दोनो मारे, लाठी और मुक्का से। हल्ला पर दिनेश का भगना हरिवंश यादव, पुत्र गौरी शंकर यादव, उसकी मॉ आयी तो उनलोगों को भी सब मिलकर मुक्का लाठी से मारे। दिनेश यादव को खटिया पर टांग कर उसके घर ले जाया गया। सभी मुदालहगण अस्पताल नहीं ले जाने देते थे, फोन करने पर थाना से पुलिस जीप पर आई तो जख्मी को उठाकर अस्पताल भेजा। शर्मा यादव कैश बक्सा, रणवीर यादव कांटा, राम लगन, राम नरेश दोनो बटखरा आदि आटा चक्की से लूट लिया। गल्ला में 500 रूपया था। लालटून पासवान, फूलो पासवान, राम नरेश पासवान दुकान से अनाज लेते गये। साक्षी ने अभियुक्तों को देखकर पहचानने का दावा किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने वादी और अभियुक्तों को एक ही खानदान का बताया है तथा कथन किया है कि जब वह घ ाटनास्थल पर आया तब दिनेश यादव को जख्मी देखा, उसे उठाकर अस्पताल ले गया। पुलिस जख्मी को ले गया। वह मील से अपने घर चला गया। साक्षी ने किसी जख्मी से उसकी कोई बातचीत नहीं होने आठ वर्ष से बराबर घर पर ही रहने की बात कही है तथा झगड़ा वाले दिन अस्पताल जाने, अस्पताल में स्वयं के भर्ती नहीं

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

होने तथा दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद होने की बात कही है। इस प्रकार साक्षी के मुख्य परीक्षण के कथन उसके प्रतिपरीक्षण के कथनों से खंडित हो जाते हैं तथा विचारित अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप भी संदेहप्रद हो जाते हैं।

10. अभियोजन साक्षी संख्या–3 जयचन्द्र यादव ने दिनाक–10.09.2002 को अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना साढे छः वर्ष पूर्व की साढे पांच बजे की है। वह अपने आटा चक्की पर था। उस समय वहां बालेश्वर यादव था। वहां बालेश्वर यादव, धनिक यादव, लालन यादव, राम किशोर यादव, राम नरेश यादव, राम लगन यादव, रणवीर यादव, शर्मा प्रसाद यादव, रामजी पासवान, फुलेश्वर पासवान, अर्जुन पासवान, राम नरेश पासवान, जगदीश पासवान कुल 13 आदमी आये। दिनेश यादव जो आटा पिसाने आया था, उसे घेर लिये, धनिक बोला कि साले को जान से मार दो, बालेश्वर यादव फरसा से दिनेश को जान मारने की नियत से चलाया, फरसा सिर पर लगा, सिर कट गया, दिनेश यादव जमीन पर गिर गया। लालन यादव दिनेश यादव पर फरसा चलाया, जिसे उदय चन्द्र व गंगा प्रसाद पकड़ लिये। दिनेश की मॉ व हरिवंश यादव भगना आया और गौरीशंकर यादव आया। उन्हें भी अभियुक्त ईंटा पत्थर से मारपीट किये। राम किशोर यादव, जगदीश यादव बोला कि चक्की वाले को भी मजा चखा दो। चक्की पर वह था। वहां जाकर ये सब चक्की में घुस गये व सभी सामान उठाने लगा व लेकर भागने लगा। वह विरोध किया तब अभियुक्त उसे भी ईटा पत्थर से मारपीट किये। उसे दाहिना बांह पर चोट लगा। दाहिना ठेहुने पर चोट लगा। दाहिना कंधा पर चोट लगा। उसका ईलाज रोसड़ा सरकारी अस्पताल में हुआ था। आटा चक्की से अभियुक्तों को कोई सरोकार नहीं था। साक्षी ने अभियुक्तों को पहचानने का दावा किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने कंडिका–2 में कथन किया है कि घटना जाड़े का समय था, सूरज लगभग डूबने वाला था, अंधेरा पूरा नहीं हुआ था, जब वह वहां पहुॅचा तो रोड़ाबाजी नहीं हो रही थी, वह पहले से वहां था। साक्षी ने चिकित्सक के यहां ईलाज होने तथा प्रमाण–पत्र देने व उसे देखने की बात कही है तथा चिकित्सक द्वारा उसके बदन पर तीन जख्म पाने की बात कही है। साक्षी ने 10 वर्ष के अंदर अभियुक्तों के साथ रहने का संयोग नहीं रहने की बात कही है। साक्षी ने उमेश यादव से उसकी दोस्ती नहीं

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

होने की बात कही है तथा कथन किया है कि वर्ष 1994–95 में वे दोनों साथ–साथ मिलकर काम देखते थे, दस वर्ष के अंदर उसे वादी के साथ रहने का मौका नहीं रहा। साक्षी ने दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद बताया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन भी अन्य साक्षियों के कथनों से मेल नहीं खाते, जिस कारण उक्त साक्षी विश्वसनीय साक्षी प्रतीत नहीं होता है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या–4 बिलखू यादव ने दिनांक–16.11.2002 को अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना छः–साढे छः वर्ष पूर्व की संध्या 5:30 बजे की है। उस समय वह गंगा प्रसाद महतो के चक्की पर था। वहां बालेश्वर यादव, धनिक यादव, लाल यादव, रामकिशोर यादव, लालचन्द्र पासवान, जगदीश यादव, रामजी पासवान, फूलो पासवान, रणवीर यादव, शर्मा प्रसाद यादव सहित कुल 13 आदमी गंगा प्रसाद के चक्की पर आये। दिनेश यादव आटा पिसाने आया, उसे सभी घेर लिये। धनिक यादव, बालेश्वर को आदेश दिया कि साले को जान से मार दो। बालेश्वर यादव फरसा चलाया, दिनेश पीछे हट गया, दोबारा फरसा चलाया जो दिनेश के सिर पर लगा, कट गया, खून बहने लगा, दिनेश गिर गया। तब गंगा व उसका पुत्र बालेश्वर व लालन को पकड़ लिये, गंगा प्रसाद व जयचन्द के साथ वे लोग मारपीट किये। हल्ला हुआ। गौरीशंकर, पुत्र दिनेश, हरिवंश भगना व उसकी मॉ वहां पहुॅचे, उनको भी अभियुक्तगण मारपीट किये। चक्की मालिक को जान से मारने की धमकी दिया, उसे भी मारपीट किया, उसे जख्म हुआ। उसका ईलाज हुआ। साक्षी ने अभियुक्तों को पहचानने का दावा किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने कंडिका–2 में गंगा प्रसाद यादव से उसका संबंध ठीक नहीं है, बताया है। वह उनके यहां बराबर अनाज पिसवाता था। उनके मशीन पर वह दो वर्ष से जा रहा है। उसके पूर्व न उनको मिला था और न वह गया था। इधर दो वर्ष के दरम्यान भी वह उनके मिल पर गया है। साक्षी ने बालेश्वर, धनिक वगैरह अभियुक्त से उसका उठना बैठना नहीं होने, अभियुक्तों के साथ कहीं आने–जाने का मौका नहीं मिलने की बात कही है तथा दिनेश यादव को अपना भाई नहीं बताया है। साक्षी ने दिनेश यादव के साथ कभी रहने अथवा खाने–पीने का मौका नहीं मिलने की बात कही है तथा उभय पक्षों के बीच जमीन का विवाद काफी

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

दिनों से होने तथा इसी वजह से दोनों में मुकदमा होने की बात कही है तथा कथन किया है कि वह अस्पताल में कभी भर्ती नहीं हुआ है। इस प्रकार इस साक्षी के कथनों से उभय पक्षों में जमीनी विवाद की पुष्टि होती है तथा अन्य बिन्दुओं पर साक्षी के कथन अन्य साक्षियों से कथनों से विरोधाभासी हो जाते हैं, जिस कारण यह साक्षी भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या–5 राम बदन यादव ने दिनांक–20.05.2003 को अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना 7–7½ वर्ष पहले की 5–5:30 बजे संध्या की है। वह गंगा प्रसाद यादव के चक्की पर आटा पिसाने गया था। देखा कि धनिक, बालेश्वर यादव, लालन, राम किशोर, राम नरेश, राम लगन, जगदीश, राम नरेश, फूलो पासवान, रामजी पासवान, रणवीर यादव, शर्मा पासवान लाठी, भाला फरसा लेकर बैठे थे, दिनेश यादव वहां आटा पिसाने आया, उसे घेर लिये, धनिक जान मारने को कहा, बालेश्वर सिर पर उसे फरसा से मारा, वह पीछे हट गया, दोबारा फरसा चला तो उसके सिर पर लगा, वह जमीन पर गिर गया, लालन यादव पुनः फरसा चलाना चाहा तो गवाह लोग घेर लिये, उन्हें भी मारपीट किया। गंगा प्रसाद, उदय चन्द्र, राम चन्द्र को भी अभियुक्तों ने मारा, ये लोग दिनेश को बचाना चाहे तो राम किशोर, जगदीश पासवान, हवाई फायर किये व आटा चक्की में घुस गये, शर्मा गल्ला का पैसा लेकर भाग गये, रणवीर आटा लेकर भाग गया। साक्षी ने अभियुक्तों को पहचानने का दावा किया है। प्रतिपरीक्षण के क्रम में पुलिस के समक्ष बयान होने की बात कही है। साक्षी ने इधर 10 वर्षों में दिनेश के साथ रहने का मौका नहीं मिलने, दिनेश व गंगा प्रसाद से अच्छा सम्बन्ध होने तथा 10 वर्षों से अभियुक्तों के साथ रहने, खाने–पीने का मौका नहीं मिलने की बात कही है। साक्षी ने झगड़ा का कारण जमीनी विवाद बताया है। साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर किसी को जख्मी नहीं देखा, उसके बाद वह घर चला आया तथा इसके पहले या उसके बाद क्या हुआ, नहीं जानने की बात कही है। इस प्रकार इस साक्षी के मुख्य परीक्षण के कथन उसके प्रतिपरीक्षण के कथनों से खंडित हो जाते हैं तथा विचारित अभियुक्तों पर लगाया गया आरोप भी संदेहप्रद हो जाता है।

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

13. अभियोजन साक्षी संख्या–6 दिनेश यादव ने दिनांक–20.01.2004 को अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक–17.12.1995 की शाम 5 बजे की है। वह गेहूँ पिसाने गंगा प्रसाद के आटा चक्की पर जा रहा था, मिल के नजदीक पहुँचा तब धनिक यादव, बालेश्वर यादव, राम लगन यादव, राम नेरश यादव, राम किशोर यादव, लालन यादव, रणवीर यादव, शर्मा यादव, रामजी पासवान, फूलो पासवान, लालटून पासवान, जगदीश पासवान, राम नरेश पासवान कुल 13 आदमी बैठे थे। इन लोगों के हाथ में फरसा, गड़ांस पिस्तौल तथा लाठी थी। धनिक यादव उसे गाली देने लगे, उसने कहा कि उसने क्या किया है, आप गाली दे रहे हैं, धनिक यादव ने बोला कि जान से मार दो, बालेश्वर यादव ने फरसा उसके उपर चलाया, वह पीछे हट गया, उसे फरसा नहीं लगा, फिर दुबारा बालेश्वर ने उसे फरसा से वार किया, जो सिर पर उल्टे भाग में लगा, वह गिर गया। तब लालन यादव फिर फरसा उसके उपर चलाया, वह फरसा नहीं लगा, उदय चन्द्र उसे पकड़ने लगे, क्यों मारते हो। उदय चन्द्र और जयचन्द के साथ सभी अभियुक्तों ने मारपीट किया, सभी अभियुक्त इन दोनों के साथ भिड़ गये। हल्ला पर उसकी मॉ फुलिया देवी, भगिना हरिवंश यादव, गौरी शंकर यादव, उसका पुत्र दौड़कर आया, उनके साथ भी अभियुक्त मारने–पीटने लगे। राम किशोर यादव पिस्तौल की आवाज किये, जगदीश पासवान पिस्तौल की आवाज किये, कहे कि आटा चक्की वाले को मजा चलायेंगे। सभी अभियुक्त चक्की बंद कर गये एवं लालन किलो बटखरा, दाना सब लूट लिये, उसे सभी मुदालह कह रहे कि जान से मार देंगे। उसका आदमी भिरहा थाना में फोन लिया, पलिस आयी तब मदालह भागे। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। मारपीट से गौरीशंकर यादव, हरिवंश यादव, दयाचन्द यादव, उदय चन्द यादव, उसकी मॉ, गंगा प्रसाद यादव जख्मी हो गये। सभी जख्मी अस्पताल गये। उसे आठ–नौ दिन अस्पताल में भर्ती रखा गया। दारोगाजी दूसरे दिन 11 बजे उसका बयान दिये। साक्षी ने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 के रूप में पहचान किया है। झगड़ा का कारण यह है कि उसकी जीत मुकदमा में हुई थी, उसी कारण यह मारपीट व झगड़ा हुआ। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान की है तथा शेष को पहचानने का दावा किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने कंडिका–6 में कथन किया है कि उसके पास आटा मिल पर जाकर आटा

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

पिसाने की कोई पुर्जी नहीं है तथा उसके तथा अभियुक्तों के बीच 17 कट्ठा जमीन का झगड़ा होने की बात कही है तथा झगड़ा का कारण जमीन बताया है उस जमीन को दोनो पक्ष अपना–अपना बताते हैं। इसमें यादव व पासवान जाति के लोग हैं। कंडिका–7 में उसे दो–तीन घंटे तक मारपीट होने की बात कही है तथा कथन किया है कि जिस फरसा से मारा था वह चॉद मार्का दो जगह गोल व बीच में गहरा तथा अंगुठी भर भी डण्डी लगा था, उसे सटे हुए हालत में फरसा मारा, एक हाथ की दूरी से मारा, फरसा मारनेवाला मुदालह उसके पेट से सटा हुआ था, उसे एक जख्म हुआ, वह गिर गया, बेहोश हो गया, उसे अस्पताल उठाकर ले गये। अस्पताल में होश आया तब उसने केस किया। साक्षी ने कंडिका–9 में विवादी जमीन बेचने के बाद यह झगड़ा होने तथा राम बहादुर के हाथ बेचने की बात कही है तथा राम बहादुर को इस केस का गवाह बताया है तथा केस लिखाने के समय में उनके होने तथा उनसे पूछने के बाद ही इस केस में सुलह करने की बात कही है।

14. अभियोजन द्वारा अपने बहस के क्रम में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रस्तुत कुल 13 साक्षियों में से 5 मौखिक साक्षियों द्वारा घटना का पूर्ण रूपेण समर्थन किया गया है। यह सत्य है कि वर्तमान मामले में अनुसंधानक व चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया जा सकता है, किन्तु उक्त पांचों साक्षियों के कथनों में एकरूपता है, जिन्होंने घटना को पूर्ण रूपेण प्रमाणित किया है, जिस कारण अभियुक्तगण दोषी होने एवं दंड पाने हेतु उत्तरदायी है।

15. वहीं बचाव पक्ष द्वारा अपने बहस के क्रम में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल 13 साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं साक्षी संख्या–13 को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, जिन्होंने घटना का किसी भी भॉति समर्थन नहीं किया। शेष साक्षियों के कथनों में घोर विरोधाभास है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा मामले के अनुसंधानक व चिकित्सक को भी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण घटनास्थल भी प्रमाणित नहीं हुआ तथा चिकित्सक का साक्ष्य न कराये जाने से जख्मी के जख्मों की प्रकृति भी प्रमाणित नहीं हुई, जिस कारण सम्पूर्ण मामला संदेह के दायरे में आ जाता है तथा अभियुक्तगण रिहाई के हकदार हो जाते हैं।

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

16. उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामला सूचक दिनेश यादव द्वारा दिनांक–18.12.1995 को समय करीब 11:30 बजे अनुमंडलीय अस्पताल, रोसड़ा में रोसड़ा थाना के समक्ष जख्मी हालत में दिये गये फर्दबयान पर आधारित है, जिसके अनुसार वह बीते दिन दिनांक–17.12.1995 को करीब 5–5:30 बजे शाम में गंगा प्रसाद यादव के चक्की पर आटा पिसाने गया था तो उसी समय गॉव के बालेश्वर यादव, धनिक यादव, लालन प्रसाद यादव, राम बिलास यादव, जगदीश पासवान, लालटून पासवान, फुलेश्वर पासवान, शर्मा प्रसाद यादव, राम लगन यादव, राम नरेश यादव, राम नरेश पासवान, रामजी पासवान एवं रणवीर यादव नाजायज मजमा बनाकर फलसा, लाठी एवं पिस्तौल से लैस होकर चक्की को घेर लिया, उसे गाली देने लगा, गाली का जब वह विरोध किया तो धनिक यादव ने आदेश दिया कि साले को जान से मार दो, जिसपर बालेश्वर यादव अपने हाथ में लिए फलसा से जान मारने की नियत से उसके सिर पर प्रहार किया, लेकिन उसके पीछे हट जाने से नहीं लगा, तब बालेश्वर यादव ने दुबारा जान मारने की नियत से फलसा का प्रहार किया, जो फलसा उसके सिर पर लगा, सिर कट गया, खून बहने लगा। घायल होकर जमीन पर गिर गया, पुनः लालन यादव उसे फलसा चलाया, लेकिन चक्की के मालिक एवं उनके पुत्र ने बालेश्वर यादव एवं लालन यादव को पकड़ लिया तो अभियुक्तों ने उन्हें भी बुरी तरह मारपीट किया। हल्ला सुनकर उसके पुत्र गौरी शंकर यादव, उसकी मॉ व भगिना को भी बचाव करने के क्रम में मारपीट किया। अभियुक्तगण यह धमकी दिया कि चक्की वाले को भी मजा चखा दो, इसी बीच अभियुक्त जगदीश पासवान एवं राम किशोर यादव ने अपने हाथ में लिये थ्री नट पिस्तौल से फायर किया और चक्की के घर में घुस गया और सामान सभी अभियुक्त मिलकर ले लिया और धमकी दिया कि साले केस करेगा तो एक–एक को जान मार देंगे। हल्ला सुनकर ग्रामीण एवं आटा पिसाने वाले वर्तमान में मौजूद लोग महेन्द्र यादव, फुलो यादव, राम बदन यादव, बिलखू यादव, लूटन पासवान, श्रीकान्त पासवान एवं अन्य लोग घटना को देखे है, जो पूछने पर बतायेंगे। लोगों की मदद से उसे घर पर पहुॅचाया गया। जहां भी उसे उनके पार्टी के लोग नाका बंदी किये हुए रहा, यहां तक उसे ईलाज हेतु भी निकलना अभियुक्त लोग मुश्किल कर दिया। इसी बीच उसके बचाव करने वाले

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

लोग भिरहा जाकर फोन कर थाना पर घटना के सम्बन्ध में किये, तब थाना से जाकर जीप द्वारा उसे ईलाज हेतु रोसड़ा अस्पताल लाये, जहां पर उसका ईलाज चल रहा है। झगड़ा का कारण यह है कि बालेश्वर यादव एवं धनिक यादव से सिलिंग का झगड़ा चल रहा था, 3–4 माह पूर्व उसे सिलिंग में डिग्री हुआ है, इसी के प्रतिशोध में उसके साथ जान बुझकर यह घटना किया है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा कुल 13 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 श्रीकान्त पासवान, अभियोजन साक्षी संख्या–8 राम जतन यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–9 गंगा प्रसाद यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–10 फूलो याव, अभियोजन साक्षी संख्या–11 राम बहादुर यादव, अभियोजन साक्षी संख्या–12 राम पुनीत पासवान व अभियोजन साक्षी संख्या–13 छट्ठू पासवान को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, जिन्होंने घटना का किसी भी भॉति समर्थन नहीं किया है। वहीं अभियोजन साक्षी संख्या–2, अभियोजन साक्षी संख्या–3, अभियोजन साक्षी संख्या–4, अभियोजन साक्षी संख्या–5 एवं अभियोजन साक्षी संख्या–6 के कथनों में घोर विरोधाभास है तथा इन साक्षियों के कथनों में एकरूपता भी नहीं है। सभी साक्षियों ने एक–दूसरे से परस्पर भिन्न कथन किया है, जिस कारण उनके कथनों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में न तो कोई आग्नेयाश्त्र जप्त किया गया है और न ही कोई आपत्तिजनक सामान ही बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी साक्षियों के कथनों से उभय पक्षों में भूमि विवाद की भी पुष्टि होती है। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा मामले के चिकित्सक व अनुसंधानक का साक्ष्य भी नहीं कराया गया है तथा न्यायालय द्वारा भी उनकी उपस्थिति हेतु प्रक्रियायें की गयी, किन्तु परिणाम शून्य रहा। अनुसंधानक का साक्ष्य न कराये जाने घटनास्थल स्थापित नहीं हो सका तथा मामले की वस्तुस्थिति भी स्पष्ट नहीं हुई तथा चिकित्सक का साक्ष्य न कराये जाने से न्यायालय जख्मी के जख्मों पर अपनी कोई राय भी कायम कर पाने में असमर्थ है, जिस कारण सम्पूर्ण मामला संदेह के दायरे में आ जाता है तथा विचारित अभियुक्तों पर लगाया गया आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसा कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो वर्तमान मामले में विचारित अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध

समक्ष न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, रोसड़ा
जिला–समस्तीपुर।

सत्र वाद संख्या–200 / 1997
सी.आई.एस. नम्बर–648 / 2014

कर सके, जिस कारण अभियुक्तगण रिहाई के हकदार हो जाते हैं। अतः ;

आदेश

17. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सूक्ष्म एवं तार्किक विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये भारतीय दंड संहिता की धारा– 307 / 149, 448, 379, 148, 379, 448, 307 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध कर पाने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण बालेश्वर यादव, राम किशोर यादव, राम नरेश यादव, लालन प्रसाद यादव, राम लगन यादव, रणवीर यादव, शर्मा प्रसाद यादव, रामजी पासवान, लालटून पासवान, फुलेश्वर पासवान, जगदीश पासवान एवं नरेश पासवान, उर्फ राम नरेश पासवान को भारतीय दंड संहिता की धारा– 307 / 149, 448, 379, 148, 379, 448, 307 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा–27 के आरोपों से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, अतएव अभियुक्तों एवं उनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। कार्यालय अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

18. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

टंकित एवं शुद्धिकृत,

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
रोसड़ा (समस्तीपुर)।
दिनांक–13.03.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
रोसड़ा (समस्तीपुर)।
दिनांक–13वीं मार्च, 2026